

राजेश कुमार vs श्रीमती सुषमा शर्मा
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्राचीना पत्र 133/2019 (2019/00140)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

09/21

पत्रपत्नी प्रशासन गांवों के संग कमिशन 2021
के तहत गांव पंच विकली पर आयोजित
विधिवत से निस्तारण हेतु लायी गई। हमने
पत्रपत्नी का अवलोकन किया। प्राचीना गाम
रुधनाथपुरा पंच विकली स्थित प्राचीना
खोलेदारी आराजी संख्या 281 रकबा 0.0900 हे.
431/281 रकबा 0.02 हे तथा 454/279 रकबा
0.0900 हे कीता 3 कुल रकबा 0.2000 हे। भूमि
की पत्थरगदी कराना चाहता है। पत्रपत्नी
से मिलकर गाम रुधनाथपुरा पंच विकली
की नकल जमाबन्दी खत 2070-2073
अनुसार उक्त आराजीपान प्राचीना के नाम
खोलेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त प्राचीना
का प्राचीना पत्र अर्जेंट धारा 128 पर
स्वीकार किया जाकर गाम रुधनाथपुरा
पंच विकली स्थित प्राचीना की खोलेदारी
आराजी संख्या 281 रकबा 0.0900, 431/281
रकबा 0.0200, 454/279 रकबा 0.0900 कीता 3
कुल रकबा 0.2000 हे। भूमि की बिना फिली
के कब्जे से दरगलन्दाजी किए सैटलमेन्ट नमूने
अनुसार पत्थरगदी किए जाने के आदेश दिए
जाते हैं। कमिशनर शुल्क 500/- पाँच सैरुप्पर
प्राचीना वहन करेगा। पाल्नाथ तहसील पर चित्तौड़गढ़
को लिखा जावे कि पत्रपत्नी को लिखित
सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगदी की जावे
एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।
पत्रपत्नी केसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

